### <u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> तहसील बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—682 / 13</u> <u>संस्थित दिनांक—31.07.2013</u> <u>फाईलिंग क.234503001902013</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — **अभियोजन** 

#### // <u>विरूद</u> //

सचिन झारिया पिता इमीलाल झारिया, उम्र—32 साल, जाति मेहारा, निवासी वार्ड नंबर04 नर्सिंगटोला थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

#### // <u>निर्णय</u> //

## <u>(आज दिनांक-21/04/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—384 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—30.05.2013 से दिनांक 03.06.2013 तक समय 14:00 बजे से 19:00 बजे तक, ग्राम स्थान बैहर फरियादी धनलाल को उसके खिलाफ पेपर में छापने की धमकी देकर भय में डालकर मूल्यवान प्रतिभूति बीस हजार रुपये परिदत्त (देने) के लिये उत्प्रेरित किया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी धनलाल ने पुलिस थाना बैहर में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि कास्त की जमीन में सरई के पेड़ लगे है। जमीन के पेड़ काटने की अनुमित के लिये पटवारी से मिलकर आवेदन दिया था फरियादी ने दो महीने में जमीन के पेड़ की कटाई करना शुरू किया था। दिनांक 30.05.2013 से करीब 13 दिन पूर्व फरियादी के पास सिचन झारिया आया था और बोला था कि वह पेड़ काट रहा है, उसे 20,000 /— रुपये दे, नहीं देगा तो वह पेपर में छाप देगा। फरियादी की लकड़ी जप्त करा देगा। फरियादी के घर में पेपर फेंक कर चला गया था। दिनांक 30.05. 2013 को फरियादी, कोमलदास को लेकर जा रहा था, वहाँ पर दिनेश यादव मिला था। फरियादी को देखकर अभियुक्त फरियादी से बोला था कि उसके 20,000 /— रुपये का क्या हुआ तो फरियादी ने कहा था कि किस बात के पैसे तब अभियुक्त

फरियादी से बोला था कि वह पेपर में छाप देगा। जगंल की लकड़ी काटी गई है। लकड़ी को राजसात करवा देगा कहकर चला गया था। फरियादी के रिपोर्ट के आवेदन पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध कमांक—77 / 2013 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 3— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।
- 5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
  1.क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—30.05.2013 से दिनांक 03.06.2013 तक
  समय 14:00 बजे से 19:00 बजे तक, ग्राम स्थान बैहर फरियादी धनीलाल
  को उसके खिलाफ पेपर में छापने की धमकी देकर भय में डालकर मूल्यवान
  प्रतिभूति बीस हजार रुपये परिदत्त (देने) के लिये उत्प्रेरित किया ?

# विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष :--

6— धनलाल अ.सा.01 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह लकड़ी काट रहा था। अभियुक्त उसकी लकड़ी काटते हुये फोटो खींच रहा था, तो साक्षी ने उससे कहा था कि वह उसका खेत सुधारने के लिये लकड़ी काट रहा है। इस कारण साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट का आवेदन पत्र प्र.पी.01 है। साक्षी ने पुलिस को हाटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 बताया था। पुलिस ने साक्षी से कोई सामान जप्त नहीं किया था, किन्तु प्र.पी.03 के जप्ती पंचनामा पर साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आवेदन थाना बैहर में प्रस्तुत किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह पढ़ा—लिखा नहीं है। उसने यादव को आवेदन लिखने का कहा था। अभियुक्त ने साक्षी से पैसे नहीं मांगे थे। धनलाल अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने पेपर में खबर छापने की धमकी

देकर 20,000 / - रुपये परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया था।

- 7— कोमलदास अ.सा.02 का कथन है कि पुलिस ने उसके कथन नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।
- 8— धनलाल अ.सा.०1 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के लिये फरियादी धनलाल अ.सा.०1 ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनलाल को उसके खिलाफ पेपर में छापने की धमकी देकर भय में डालकर मूल्यवान प्रतिभूति बीस हजार रुपये परिदत्त (देने) के लिये उत्प्रेरित किया था। अतः अभियुक्त सचिन झारिया को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—384 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 9— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 10— प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बाबद जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति फरियादी के पत्रकार होने के परिचय पत्र अपील अवधि पश्चात फरियादी को वापस किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा समाचार पत्र की प्रतियाँ दस्तावेजों का अभिन्न अंग रहेगी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, तहसील बैहर जिला–बालाघाट

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, तहसील बैहर जिला–बालाघाट